प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उप[illegible] आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे [illegible] रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण [illegible] पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 15/10/25 को पेश हो
14/10/25	पत्रावली पेश हुई आज TDR रिपोर्ट अप्राप्त पुनः पत्र जारी होकर वास्ते तलबी रिपोर्ट TDR पत्रावली दिनांक 4/11/25 को पेश हो।
4/11/25	वकील वादी उप० । जवाब पैरोकार सरकार एवं Report TDR प्राप्त । बहस प्रा० पत्र सुनी गयी । पत्रावली वास्ते आदेश दि० 15/11/25 को पेश हो।
15/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/25 को पेश हो
21/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 25/11/25 को पेश हो
25/11/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ता० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश (R.A.S)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
232/दावा/2024	11.12.2024	25.11.2025

धर्मराज उर्फ ब्रहमानन्द उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल मीणा निवासी ग्राम सप्तीजा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान ।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नन्द सिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 200 रकबा 1.2141 हैक्टेयर वाके ग्राम सप्तीजा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादी का 2/25 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है। इसी प्रकार वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा स. 153 रकबा 1.8211 हैक्टयेर, खसरा सं 154 रकबा 1.8130 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 5.4471 हैक्टेयर वाके ग्राम सप्तीजा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादी का 8/315 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। वादी चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाधित रूप से काबिज काश्त है वादी के पिता मोती की मृत्यु के उपरान्त भुमि पर फोती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादी का बोलता नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादी का सभी दस्तावेजो में नाम धर्मराज पुत्र मोतीलाल जाति मीणा अकित है इसी प्रकार प्रार्थी की माता रामप्यारी बाई की मृत्यु के उपरान्त भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादी का बोलता नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादी का सभी दस्तावेजो में नाम धर्मराज पुत्र मोतीलाल जाति मीणा अंकित है प्रार्थी नामान्तरण प्रार्थना पत्र में ब्रहमानन्द उर्फ धर्मराज अंकित होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नहीं कर बोलता नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वादी की भूमि जो चरण संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित है, को जब फौती इंतकाल दर्ज हुआ तो उक्त भूमि पर मुझ वादी का बोलता नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती ही दर्ज किया जबकि मुझ वादी द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन–फानन में वादी का नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती ही दर्ज कर दिया तथा वाद वर्णित कृषि भूमि मे वादी के हक अधिकार मानने से ही इन्कार कर दिया। वादी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे कि वादी ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र मोतीलाल एक ही व्यक्ति है जिसका उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र मोतीलाल एक ही व्यक्ति होने के कारण राजस्व रिकार्ड में ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र मोतीलाल दर्ज करने का प्राप्त करे। गलत नाम के चलते वादी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बाबत जब वादी द्वारा तहसीलदार तालेड़ा एक माह पूर्व निवेदन किया कि वादी का नाम शुद्ध किया जावे तो तहसीलदार तालेडा द्वारा वादी के साथ टालमटौल की गई एव वादी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया एवं वाद वर्णित भूमि से वादी का हक व अधिकार मानने से ही इन्कार कर दिया। गलत नाम दर्ज होने से वादी को उक्त भूमि के सम्बंध मे के.सी.सी., सरकारी/गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है गलत नाम दर्ज होने से वादी को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वादी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि वादी की भूमि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करे कि पुनः वादी के खाते की भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित है पर वादी का नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र मोतीलाल जाति

अंकित करे। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि वादी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा ...0 रकबा 1.2141 हैक्टेयर जो वाके ग्राम सप्तीजा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है ...समे वादी का 2/25 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है व खसरा संख्या 142, 153, 154 रकबा 5.4471 हैक्टेयर जो वाके ग्राम सप्तीजा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमे वादी का 8/315 हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज है पर वर्तमान में वादी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र, मोतीलाल जाति मीणा के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी मे ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र मोतीलाल जाति मीणा दर्ज कर शुद्धीकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाये जाने की कृपा करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा के पत्र क्रमांक भू.अ./25/1712 दिनांक 20.05.2025 के अनुसार वादी का नाम नामांतकरण सं. 11 दिनांक 04.01.1983 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वादी का नाम विरासत से विधिवत नामांतकरण से दर्ज हुआ है। वादी का वाद निरस्त योग्य है।

तहसीलदार तालेडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम सप्तीजा के खाता सं. 63 में प्रार्थी का नाम ब्रहमानन्द पुत्र मोती जाति मीणा हिस्सा 2/35 दर्ज हैं, खाता सं. 62 पर ब्रहमानन्द आ0 मोती जाति मीणा हिस्सा 4/63 व खाता सं. 67 पर नाबालिग ब्रहमानन्द आ0 मोती संरक्षक माता मु. रामप्यारी हिस्सा 8/315 जाति मीणा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम नामांतकरण सं. 11 दिनांक 04.01.1983 फौती नामांतकरण से दर्ज हुई। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम धर्मराज अंकित है।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, नकल जमाबन्दी की प्रति, पेश की एवं ग्राम पंचायत का पत्र, आयकर विभाग की आईडी, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, दौराने जांच तहसीलदार पेश किये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि वादी का वास्तविक नाम धर्मराज है, किन्तु फौती नामांतकरण दर्ज करते समय सहवन से ब्रहमानन्द अंकित किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

वकील अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी द्वारा यह कथन कि वादी का नाम फौती नामांतकरण के दौरान धर्मराज के स्थान पर ब्रहमानन्द सहवन से दर्ज रिकॉर्ड किया गया है, प्रमाणित कथन प्रतीत नहीं होता है। चुंकि उक्त फौती नामांतकरण तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 04.01.1983 में दर्ज रिकॉर्ड किया गया था। उक्त दर्ज नामांतकरण के 41 वर्ष बाद वादी को यह ज्ञात नहीं होना कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज हो गया है, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा इन 41 वर्षो में अपने कई दस्तावेज जिनमे वादी का नाम धर्मराज होना वादी ने अंकित किया है तो फिर तत्सयम ही वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त क्यों नहीं करवाया गया। बाबत् कोई तथ्य अथवा कारण अपने वाद पत्र में अंकित नहीं किये गये है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम ब्रहमानन्द से धर्मराज संशोधन करने बाबत् आवेदन लगभग 41 वर्ष बाद करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट हो कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतकरण दर्ज करने के दौरान राजस्व विभाग द्वारा त्रुटि की गई हो। वादी द्वारा अपना एवं अपने पिता के नाम में परिवर्ततन ब्रहमानन्द पुत्र मोती उर्फ धर्मराज पुत्र मोतीलाल अंकित करवाये जाने हेतु निवेदन किया है जो कि अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट अथवा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट में पोषणीय नहीं है। वादी उक्तानुसार अपना एवं अपने पिता का नाम परिवर्तन चाहता है जो कि उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तथ्यों अनुसार प्रमाणित नहीं होने से उक्त संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–आदेश–

अतः वाद वादी तथ्य एवं रिकॉर्ड अनुसार प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
यह निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा